राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थीगण की ओर से	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	3887/2025 शाहबुद्धिन	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	श्री सुखराज सिंह राठौड़ अभिभाषक	03.08.2025 एवं 04.08.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2)
2.	3888/2025 मुन्नी शर्मा			

प्रस्तुत करने की दिनांक : 14.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3887/2025 शहाबुद्वीन बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पर पर एवं समकक्ष कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूगा, जिला जालौर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में 450 कि.मी. दूर किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 25.01.1994 (अनुलग्नक–3) के द्वारा की गई। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी नें दिनांक 01.07.1995 को कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता ग्रेड–ा इतिहास के लिए चुना गया। अपीलार्थी को सेवा अवधि

के दौरान अजमेर, उदयपुर, बीकानेर में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी स्लिप डिस्क की बीमारी से पीड़ित है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.01.2023 के द्वारा दिनांक 15.01.2023 से सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आवश्यक प्रकृति के स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति के बाद ही किए जाएगें। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.08.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर में समस्त वेतन–भत्तों सहित निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 3887/2025 शाहबुद्दीन बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)